अंतः पत्रावली आगे अग्रिम कार्यवाही
दिनांक 23/9/22 को पेश हो।

23/9/22

पत्रावली पर श्री बहुलाराम तथा अन्य आवेदी सहित उपस्थित
घोर कृषक की कृषक आवेदन पत्र पर अंकन
कि गई आवेदी का अंकन पत्र अ. धारा 110, 126
स्वीकार किया जाता है। विपक्षी निर्वाह पत्र
के संबंध अवैध आदि [illegible] किया
गया। पत्रावली [illegible] हेतु नियत किया
है व उपस्थित [illegible]

23/9/22

23/09/22

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 11:48:46 IST
Reason: SelfAttested